कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:– 3210 / 11–सी–FP/UP/Road/150065/2021, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 12 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र,
कानपुर।

विषय:– जनपद–मीरजापुर के कैमूर वन्यजीव प्रभाग के हलिया रेंज के अंतर्गत प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मीरजापुर द्वारा भटवारी–मतवार सम्पर्क मार्ग, मतवरिया–मतवार सम्पर्क मार्ग, बढ़ौही परसिया वाया औरा सम्पर्क मार्ग, फुलियारी सम्पर्क मार्ग, सिलहटा सम्पर्क मार्ग, मेंजा बाध (ददरी) से नदना वाया मटिहरा–लगरा सम्पर्क मार्ग व खरिहट खुर्द से केडवर सम्पर्क तक सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 34.902 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 156 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:– आपका पत्रांक–1904/26–11, दिनांक 03.04.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को दिनांक 10.04.2023 को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया:–

1. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव में पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव में मानक शर्तो के मान्य होने की पूर्ण 18 मानक शर्तो की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।
4. रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
5. बाधक वृक्षों की दशा में प्रयोक्ता एजेंसी से Entire Tree Transplant (ETT) की शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल को अपलोड नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल, प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की के0एम0एल0 फाइल को पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:– 3210 /11–सी–FP/UP/Road/150065/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 खण्ड, लो0नि0वि0, मीरजापुर।

(हस्ताक्षर)

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग
मिर्जापुर

पत्रांक 2352 / 23-1 दिनांक मीरजापुर अप्रैल 15, 2023

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मीरजापुर को उपरोक्त पत्र के इस आशय से प्रेषित कि नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा बिन्दु सं 1, 3, 4, 5, 6 द्वारा वांछित सूचनाओं का निराकरण उपरान्त प्रस्ताव पूर्ण कर उपलब्ध करायें ताकि इस कार्यालय से प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके। प्रस्ताव की प्रतियां नोडल अधिकारी लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त करने हेतु अपने प्रतिनिधि को भेजने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव वन प्रभाग
मिर्जापुर

Acy-465

Scanned with OKEN Scanner

सेन्चुरी क्षेत्र से जो सडक प्रस्तावित है उसके डिजाइन में स्टैन्डर्ड मिटिगेशन मेजर को शामिल करते हुये संशोधित डिजाइन के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करें।